रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस०-एम० 13-14/98

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 27 जुलाई, 1998/5 श्रावण, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 27 जुलाई, 1998

संख्या 1-70/98-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1997 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश किसान पास बुक (संशोधन) विधेयक, 1998

2731-राजपत्र/98-27-7-98—1,290. मूल्य : 1 रुपया ।

(1998 का विधेयक संख्यांक 12) जो 27 जुलाई, 1998 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में ुर स्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

1998 का विधेयक संख्यांक 12.

हिमाचल प्रदेश किसान पास बुक (संशोधन) विधेयक, 1998

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश किसान पास बुक अधिनियम, 1996 (1998 का 6) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश किसान पास बुक (संशोधन) अधिनियम, 1998 है ।

धारा 2 का संशोधन ।

1998 का 6

2. हिमाचल प्रदेश किसान पास बुक अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ग) में, उप-खण्ड (V) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

1980 का 40

"(V) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तत्स्थानी नया बैंक ;"

धारा 9 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) में, "दी जाएगी" शब्दों के स्थान पर "दी जा सकेगी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 10 का लोप ।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश किसान पास बुक अधिनियम, 1996 की धारा 2(ग) जो अभिव्यक्ति "वित्तीय संस्थानों" को परिभाषित करती है के अन्तर्गत बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अधीन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं आते हैं। जब तक कि इन बैंकों को "वित्तीय संस्थानों" की परिभाषा में सम्मिलित नहीं कर लिया जाता तब तक यह बैंक किसान पास बुक के प्रस्तुत किए जाने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में समर्थ नहीं होंगे। चूंकि **कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963** अब प्रवृत्त नहीं है, धारा 2(ग) का खण्ड (V) निरर्थक हो जाता है अतः इसका लोप किया जाना अपेक्षित है।

उक्त अधिनियम की धारा 9 वित्तीय संस्थानों/बैंकों को केवल किसान पास बुक के प्रस्तुत किए जाने पर ही ऋण दिए जाने के लिए बाध्यकर बनाती है। कई बार किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान के लिए किसी कृषक को केवल किसान पास बुक के प्रस्तुत किए जाने पर ऋण देना सम्भव नहीं होता है क्योंकि उसकी धृति (सम्पत्ति) या तो राज्य सरकार के पास या अन्य वित्तीय संस्थान के पास विल्लंगमित हो सकती है। अतः बैंकों के पास यह सुनिश्चित करने का विवेकाधिकार होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट कृषक को ऋण दे या नहीं। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन वित्तीय संस्थान द्वारा दिए ऋण के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण की दशा में, राज्य की ऐसे ऋणों पर प्रभार की पूर्विकता होगी और इस प्रकार बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की वसूली के लिए किसी प्रतिभूति का वे सहारा नहीं ले सकेंगे। इस को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
. . . . . जुलाई, 1998.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 12 of 1998.

THE HIMACHAL PRADESH KISAN PASS BOOK (AMENDMENT) BILL, 1998

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Kisan Pass Book Act, 1996 (Act No. 6 of 1998).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Kisan Pass Book (Amendment) Act, 1998.

6 of 1998.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Kisan Pass Book Act, 1996 (hereinafter called the principal Act), in clause (*c*), for sub-clause (*v*), the following shall be substituted, namely:—

"(*v*) a corresponding new bank as specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980;".

40 of 1980.

Amendment of section 9.

3. In section 9 of the principal Act, in sub-section (1), for the word "will" at both the places where it occurs, the word "may" shall be substituted.

Omission of section 10.

4. Section 10 of the principal Act shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 2(*c*) of the Himachal Pradesh Kisan Pass Book Act, 1996, which defines the expression the "Financial Institutions", does not include the Banks nationalized under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. Unless these Banks are not included in the definition of "Financial Institutions", these Banks will not be able to grant financial assistance on the production of Kisan Pass Book. As the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963 is no more in force, clause (*v*) of section 2 (*c*) becomes redundent and is required to be omitted.

Section 9 of the said Act makes it obligatory for financial institutions/banks to grant loans merely on the production of a Kisan Pass Book. Many a time, it may not be possible for a bank or a financial institution to grant a loan to an agriculturist merely on the production of Kisan Pass Book, because his holding may be encumbered either to the State Government or to other financial institution. Thus Banks should have a discretion to decide whether or not they should grant a loan to a particular agriculturist. Apart from this, under section 10 of the Act *ibid*, in case loan is granted by the State Government subsequent to the loan given by a financial institution, the State has the priority to a charge over such loans and as such banks may not be in a position to fall back on any security for recovery of loans granted by it. In view of this, it has become necessary to make amendments in the aforesaid Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA:
The.....July, 1998.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।